न्यायालय
सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी–अलवर
(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/44 दर्ज तिथिः– 04.02.2022

1. शिम्भूदयाल पुत्र लीला जाति धानका उम्र 66 साल
2. सेढूराम पुत्र लीला जाति धानका उम्र 62 साल
   निवासीयान ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. गीता देवी पत्नी स्व0 राधेश्याम उम्र 66 साल
2. दिनेश पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 46 साल
3. दिलीप पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 42 साल
4. विनोद पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 44 साल जातियान धानका निवासीयान ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक राधेश्याम एवं साजा पत्नी भौरा
5. मालीराम पुत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 48 साल
6. मीरा पुत्री सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 52 साल
7. मौजीराम पुत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 50 साल
8. श्रवण पुत्र पुत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 45 साल
9. रिंकू पुत्र स्व0 जम्मन पौत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 25 साल
10. पूजा पुत्री स्व0 जम्मन पौत्री सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 30 साल
11. बनारसी देवी पत्नी स्व0 जम्मन पुत्रवधू सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 52 साल
    समस्त जातियान धानका निवासीयान गढबसई हाल निवासी घाटा बस स्टेण्ड, हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 सभी वारिस काबिज जायदाद स्व0 सुमन्ता उर्फ सुगन्ता एवं कौशल्या पत्नी सुमन्ता उर्फ सुगन्ता

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ताः– श्री लक्ष्मण पोसवाल
प्रतिवादीगण :– स्वयं ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राज0 काश्तकारी अधि–1955

निर्णय

निर्णय तिथिः– 16.05.2023

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत तकास्मा अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी हाल खसरा नंबर 865 रकबा 3.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय व आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण का 1/3 हिस्सा (वादी संख्या–1 का 1/6 हिस्सा व वादी संख्या–2 का 1/6 हिस्सा), प्रतिवादी संख्या–01 लगायत 04 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या–05 लगायत 10 का 1/3 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण हाजा न्यायालय में असालतन–वकालतन उपस्थित हुए। प्रतिवादीगण असालतन उपस्थित मौका एवं कब्जानुसार बंटवारे हेतु सहमति दी जिनके हस्ताक्षर शामिल आदेशिका है। प्रकरण मे वादी के वाद पत्र के अवलोकन के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः–

    1. आया संयुक्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाने के अधिकारी है।
    .....उभय पक्षकारान

    2. आया संयुक्त आराजी को वादीगण व प्रतिवादीगण विभाजन करवाकर पृथक–पृथक खाता कायम करवाकर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
    .....उभय पक्षकारान

    3. अन्य दादरसी।
    .....उभय पक्षकारान

3. तनकी संख्या–1 पर विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। बाद बहस वाद पत्र को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार थानागाजी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी द्वारा दिनांक 24.02.2023 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 20:17:22 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा तहसीलदार थानागाजी द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति जाहिर की। वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा दी गई सहमति पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2075–2078 तथा

कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा नंबर 865 रकबा 3.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय व आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.38 है0 किस्म बारावाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी के सहखातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त संयुक्त आराजीयात में वादीगण का 1/3 हिस्सा (वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा व वादी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा), प्रतिवादीगण का 2/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा– ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है। अतः तनकी संख्या–1 स्वीकार की जाती है।

5. प्रकरण में तनकी संख्या–02 के अनुसार तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। अतः तनकी संख्या–02 के तहत विश्लेषण हेतु स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार हैः–

   प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण के बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह– काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

   द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं । प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

   तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

Signature Not Verified

Digitally Signed by Keshav Kumar Meena

Date: 2023.05.16 21:17:22 IST

Reason: SelfAttested

6. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः तनकी संख्या–02 स्वीकार की जाती है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खाता संख्या 261 आराजी हाल खसरा नंबर 865 रकबा 3.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय व खाता संख्या 292 आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
शम्भूदयाल पुत्र लीलाराम	1/2	865/2	0.59 है0	बारानी–2
		865/6	0.07 है0	बारानी–2
सेढूराम पुत्र लीलाराम	1/2	865/10	0.45 है0	बारानी–2
किता 03 रकबा 1.11 है0				
कौशल्या पत्नी सुमन्ता जाति धानका	1/6			
जम्मन पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6	858/1	0.19 है0	बारानी–2
मालीराम पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6	865/4	0.48 है0	बारानी–2
मीरा पुत्री सुमन्ता जाति धानका	1/6	865/9	0.44 है0	बारानी–2
मौजीराम पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6			
श्रवण पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6			
किता 03 रकबा 1.11 है0				
गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति धानका	1/8	858/2	0.19 है0	बारानी–2
दिनेश पुत्र राधेश्याम जाति धानका	1/8	865/1	0.26 है0	बारानी–2
दिलीप पुत्र राधेश्याम जाति धानका	1/8	865/5	0.06 है0	बारानी–2
विनोद पुत्र राधेश्याम जाति धानका	1/8	865/7	0.05 है0	बारानी–2
सांझा पत्नी भौरा जाति धानका	1/2	865/11	0.55 है0	बारानी–2
किता 05 रकबा 1.11 है0				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

शिम्भूदयाल वगै0 हिस्सा 1/3 कौशल्या वगै0 हिस्सा 1/3 गीता देवी वगै0 हिस्सा 1/3 रहन बदस्तूर सा0देह खातेदार		865/3 868/8	0.05 है0 0.05 है0	गै0मु0रास्ता गै0मु0रास्ता
किता 02 0.10 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहतम पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार थानागाजी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी–अलवर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2022/44 दर्ज तिथिः– 04.02.2022

1. शिम्भूदयाल पुत्र लीला जाति धानका उम्र 66 साल
2. सेढूराम पुत्र लीला जाति धानका उम्र 62 साल
   निवासीयान ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0

......................वादीगण

बनाम

1. गीता देवी पत्नी स्व0 राधेश्याम उम्र 66 साल
2. दिनेश पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 46 साल
3. दिलीप पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 42 साल
4. विनोद पुत्र स्व0 राधेश्याम उम्र 44 साल जातियान धानका निवासीयान ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 वारिस काबिज जायदाद मृतक राधेश्याम एवं साजा पत्नी भौरा
5. मालीराम पुत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 48 साल
6. मीरा पुत्री सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 52 साल
7. मौजीराम पुत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 50 साल
8. श्रवण पुत्र पुत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 45 साल
9. रिंकू पुत्र जम्मन पौत्र सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 25 साल
10. पूजा पुत्री स्व0 जम्मन पौत्री सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 30 साल
11. बनारसी देवी पत्नी स्व0 जम्मन पुत्रवधू सुमन्ता उर्फ सुगन्ता उम्र 52 साल
    समस्त जातियान धानका निवासीयान गढबसई हाल निवासी घाटा बस स्टेण्ड, हींसला तहसील थानागाजी जिला अलवर राज0 सभी वारिस काबिज जायदाद स्व0 सुमन्ता उर्फ सुगन्ता एवं कौशल्या पत्नी सुमन्ता उर्फ सुगन्ता

................असल प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–स्वामी थानागाजी जिला अलवर।

..........................तकमीली प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते

उपस्थित

Signature Not Verified

वादी अ[illegible] – श्री लक्ष्मण पोसवाल

प्रतिवादीगण [illegible] स्वयं।

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–53,188
राजस्थान काश्तकारी अधि–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

निर्णय तिथिः– 16.05.2023

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खाता संख्या 261 आराजी हाल खसरा नंबर 865 रकबा 3.05 है0 किस्म बारानी द्वितीय व खाता संख्या 292 आराजी खसरा नम्बर 858 रकबा 0.38 है0 वाके ग्राम गढबसई तहसील थानागाजी जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार थानागाजी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	खसरा	रकबा	किस्म
शम्भूदयाल पुत्र लीलाराम	1/2	865/2	0.59 है0	बारानी–2
		865/6	0.07 है0	बारानी–2
सेढूराम पुत्र लीलाराम	1/2	865/10	0.45 है0	बारानी–2
किता 03 रकबा 1.11 है0				
कौशल्या पत्नी सुमन्ता जाति धानका	1/6			
जम्मन पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6	858/1	0.19 है0	बारानी–2
मालीराम पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6	865/4	0.48 है0	बारानी–2
मीरा पुत्री सुमन्ता जाति धानका	1/6	865/9	0.44 है0	बारानी–2
मौजीराम पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6			
श्रवण पुत्र सुमन्ता जाति धानका	1/6			
किता 03 रकबा 1.11 है0				
गीता देवी पत्नी राधेश्याम जाति धानका	1/8	858/2	0.19 है0	बारानी–2
दिनेश पुत्र राधेश्याम जाति धानका	1/8	865/1	0.26 है0	बारानी–2
दिलीप पुत्र राधेश्याम जाति धानका	1/8	865/5	0.06 है0	बारानी–2
विनोद पुत्र राधेश्याम जाति धानका	1/8	865/7	0.05 है0	बारानी–2
सांझा पत्नी भौरा जाति धानका	1/2	[illegible]	0.55 है0	बारानी–2
किता 05 रकबा 1.[illegible] है0				

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested

शिम्भूदयाल वगै0 हिस्सा 1/3 कौशल्या वगै0 हिस्सा 1/3 गीता देवी वगै0 हिस्सा 1/3 रहन बदस्तूर सा0देह खातेदार		865/3 868/8	0.05 है0 0.05 है0	गै0मु0रास्ता गै0मु0रास्ता
किता 02 0.10 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे। ना ही किसी प्रकार के कार्य काश्त में रूकावट व मजाहतम पैदा करें तथा शक्त मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। पक्षकारान अपना–अपना खर्चा स्वयं वहन करेगें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षकर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनायी गयी।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
थानागाजी–अलवर

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2023.05.16 21:17:22 IST
Reason: SelfAttested